



2026:AHC:127184

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19780 वर्ष 2026

शिवानीआवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिपक्षी

आवेदिका के अधिवक्ता : ज्ञान चन्द्र, सौरभ कुमार मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 149 वर्ष 2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 351(2), 352, 324(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना- फेज-3, जनपद- गौतम बुद्ध नगर में आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदिका को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदिका का नाम नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा वह एक महिला है। अन्य सह-अभियुक्तगण, इस्लाम @ सागर, रोहित कुमार, देवेश तथा सुभाष को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा आदेशों की प्रतियां आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है। वह आगे यह भी निवेदन करते हैं कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 13.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
4. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वह इस तथ्य का विवाद नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् इस्लाम @ सागर, रोहित कुमार, देवेश तथा सुभाष को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् इस्लाम @ सागर, रोहित कुमार, देवेश तथा सुभाष को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो अपास्त किया गया है और न ही स्थगित किया गया है, तथा आवेदिका दिनांक 13.04.2026 से जेल में निरुद्ध है, मैं आवेदिका को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त समझता हूँ।
7. जमानत आवेदन अनुमन्य किया जाता है।
8. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित आवेदिका- शिवानी को न्यायालय संबंधित की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो



प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन।

साथ ही, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदिका इस आशय का एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगी कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु तिथि नियत हो और साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगी। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदिका प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदिका जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर आवेदिका न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप गठन तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदिका की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह ऐसे दोष को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 15 जून, 2026

ए.पी. पाण्डेय

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not for Legal Use.